विभिन्न कलाओं संबंधी स्लाइडों का संग्रह, कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में तरीको और प्रक्रियों के बारे में वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तके, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लो–अप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पुस्तिकाएं, चित्र, बच्चों का चित्रीय प्रस्तुतीकरण।

(iii) श्रव्य दृश्य उपकरण

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं, जिनमें टीवी, डीवीडी प्रेशर, स्लाइड प्रोजक्टर, खाली श्रव्य दृश्य श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्मों, चार्ट, चित्र शामिल हैं। आर ओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेंटलाइट इंटर लिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(iv) संगीत वाद्ययंत्र

साधारण संगीत वाद्ययंत्र, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, मंजीरा ओर अन्य क्षेत्रीय देशी संगीत वाद्य।

(v) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं

संस्था के सथपित होने के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोश, शब्द–कोश, और संदर्भ पुस्तके व्यावसायिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें, अध्यापकों की पुस्तिकाएं (हैंडबुक्स) और बच्चों के बारे में और उनके लिए पुस्तकें (जिनमें कामिक्स अर्थात हास्य पुस्तकें, कहानियां, सचित्र पुस्तकें/एल्बम और कविताएं) शामिल होनी चाहिए। संस्था को कम से कम तीन पत्रिकाएं (जर्नल) मंगाने चाहिएं, जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा के बारे में होनी चाहिए।

(vi) खेलें और खेलकूद

अन्दर खेली जाने वाली (इनडोर) और बाहर खेली जाने वाली (आउटडोर) सामान्य खेलों के पर्याप्त खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7. प्रबन्धन समिति

संस्था संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई होने, एक प्रबंधन समिति गठित करेगी। ऐसे कोई नियम न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयं अपने आप एक प्रबन्धन समिति गठित करेगी। इस समिति में प्रबन्धन सोसाइटी/न्यास के प्रतिनिधि, कला शिक्षाविद, प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विशेषज्ञ और स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–12

कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

कला शिक्षा (अभिनय कलाएं) में डिप्लोमा एक संवृत्तिक सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा VIII तक अभिनय कलाओं के लिए अध्यापक तैयार करना है ।

2. अवधि और कार्यदिवस

2.1 अवधि

अभिनय कलाकार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्ष की होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोडकर प्रतिवर्ष कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे ।

(ख) संस्थान एक सप्ताह (पांच या छ दिन) में कम से कम 36 घण्टे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और छात्र अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है जिससे कि जब कभी जरूरत हो सलाह, मार्गदर्शन, वार्ता तथा परामर्श के लिए उनकी सुलभता सुनिश्चित हो सके।

(ग) छात्र–अध्यापकों की सभी प्रायोगिक एवं पाठ्यक्रम कार्यों के लिए 80% और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% की न्यूनतम उपस्थिति होगी ।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश क्रियाविधि, विधि और फीस

3.1 दाखिला क्षमता

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी युनिट होगा जिसमें 25–25 छात्रों के दो इकाइयाँ होंगे। शुरू में दो बुनियादी इकाइयों की अनुमति है। तथापि सरकारी संस्थान अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 4 इकाइयों का दाखिला कर सकते हैं।

3.2 पात्रता

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय (विषयों के रूप में) संगीत/नृत्य/रंगमंच सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो

अथवा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उच्च माध्यमिक परीक्षा के स्तर पर कोई निषपादन कला विषय नहीं है लेकिन जिन्होंने किसी व्यावसायिक संस्थान में संगीत/नृत्य/रंगमंच सीखा है और जिन्होंने उच्च माध्यमिक के समतुल्य मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, दाखिले के लिए पात्र हैं।

आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण और अर्हक अंकों में भी जहां कहीं लागू हो, संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

दाखिला, प्रवेश–परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेल कूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया के अनुसार किया जाएगा ।

3.4 फीस

संस्थान समय–समय पर यथासंशोधित एन.सी.टी.ई. (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

दो वर्षीय पाठ्यचर्या में निम्न पाठ्यक्रम/घटक शामिल हैं:

क. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

ख. प्रायोगिक कार्य

ग. स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप)

घ. कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्शन तथा निष्पादन

क सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

सिद्धान्त के मामले में, कुछ सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम सभी कला शिक्षा कार्यक्रमों (दृश्य और निष्पादन कलाएं) के लिए साझा होंगे।

(i) बाल अध्ययन में निम्नलिखित का गहन अध्ययन शामिल होगा : बाल और किशोर विकास के सिद्धान्त; सामाजीकरण का संदर्भ और प्रक्रियाएं, सामाजिक और भावात्मक विकास; आत्मन तथा पहचान; संज्ञान तथा अधिगम; भाषा अभिग्रहण और संप्रेषण बाल्यावस्था और बाल पालन–पोषण संबंधी पद्धतियों की व्याख्या; विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिन्तन को बढ़ाना; अधिगम प्रक्रियाएं जिनमें निष्पादन कलाएं तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप/अनुभव, शारीरिक स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा शामिल है।

(ii) समकालीन अध्ययन छात्रों को विभिन्न कला रूपों, विशेष रूप से समाज में कलाओं की भूमिका तथा समकालीन भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति की अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के साथ प्रवृत्त करेंगे। इन पाठ्यक्रमों में नीचे वर्णित अवधारणाएं भी शामिल हैं: संस्कृति और राष्ट्र के बीच इसके वैविध्य, संवैधानिक मूल्यों और संस्कृति के प्रावधानों तथा सामाजिक स्तरीकरण; समकालीन भारतीय कला तथा कलात्मक प्रवृत्तियों; अनेकवादी संस्कृति, साम्या, लिंग, निर्धनता तथा विविधता, पहचान और स्वयं की पहचान संबंधी प्रश्न तथा विभिन्न कला रूपों के माध्यम से इसकी खोज; समाज में उनकी स्थिति की जांच करना आदि।

(iii) शैक्षिक अध्ययन नीचे वर्णित के दार्शनिक प्रश्नों का संघटन करेंगे: शिक्षा के बुनियादी उद्देश्य और मूल्य; शिक्षा और समाज के बीच के संबंध; भारत में स्कूली शिक्षा के स्तर, समस्याओं और चिन्ताओं का गहन अध्ययन; एक अधिगम संगठन की भांति स्कूल संस्कृति और स्कूल के साथ प्रवृत्त होना। अध्यापक की तैयारी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक घटकों का संघटन होगा।

(iv) भाषा प्रवीणता और संचार में विभिन्न संदर्भों, बोलियों, स्थानीय भाषाओं, मेटा–भाषायी जागरूकता में भाषा के प्रयोग के व्यावहारिक अनुभव शामिल होंगे, जिसमें सुनने, बोलने, पठन बोध और विभिन्न संदर्भों के लिए लिखने पर बल रहेगा। कला भाषा का एक अन्य रूप है अथवा भाषा एक कलारूप है। भाषा प्रवीणता विशेष रूप से समीक्षा को और विभिन्न कला रूपों को अन्तर्वस्तु प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्रों की अभिव्यक्ति के दो रूपों के बीच अभिसरण की कदर करना चाहिए।

(v) कलाओं की कदर करना

यद्यपि दृश्य और अभिनय कलाओं के विषयों के स्वयं अपने सिद्धान्त होंगे और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उनके पाठ्यक्रम में आबद्ध होंगे। यह घटक सभी के लिए अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भारतीय कला रूपों के उद्गम से लेकर आज के समय में उनकी विभिन्न परम्पराओं और आयामों से अवगत कराएगा।

विभिन्न कला परम्पराओं की कद्र करना केवल तभी संभव है जबकि छात्र–अध्यापकों को पुस्तकों, पाठ्यसामग्री, लेखों के अध्ययन ,निष्पादन का प्रेक्षण, संग्रहालयों, स्मारकों, कलाकारों, शिल्पियों का निरीक्षण करने, आनलाइन और आफलाइन उपलब्ध संसाधनों पर नजर डालने से उनका समुचित प्रभावन कराया जाए।

बी संगीत (सघोष तथा वाद्य)

(i) सिद्धान्त

संगीत के सिद्धान्त में बाल विकास में संगीत की भूमिका, बाल शिक्ष के एक उपकरण के रूप में संगीत, स्कूलों में संगीत पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य, संगीत और गणित, संस्कृति, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र (ध्वनि और इसका संचरण आदि), संगीत और शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य सुधार/संगीत चिकित्सा के साथ इसका संबंध, ध्वनि संस्कृति और मानव गले और कान की शरीर विज्ञान, किशोरों की आवाज़ का पोषण और प्रोत्साहन। दो वर्षों के भीतर निम्न मूल–पाठों का अध्ययन; नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, स्वर मेला कलानिधि, चतुर्दन्दी, प्रकाशिका तथा संगीत पारिजात, भारतीय सौन्दर्यशास्त्र ('रस' का सिद्धान्त) तथा भारतीय स्वरलिपि प्रणाली का परिचय और संगीत वाद्ययंत्रों का चार स्तरीय वर्गीकरण।

(ii) प्रायोगिक कार्य

छात्र–अध्यापक या तो सघोष/वाद्य (राग) स्कूलों में हिन्दुस्तानी संगत का वरण कर सकते है अथवा सघोष/वाद्य (राग) कर्नाटक संगीत के लिए विकल्प दे सकते हैं। वे समावेशी सहभागितापूर्ण कक्षा कक्ष को दृष्टिगत रखते हुए पाठों की योजना बनाएंगे और विकास करेंगे

उन्हें स्वयं अपने वाद्य यंत्र को बजा सकते है और इस के अतिरिक्त तानपुरा और तबला (मूल हेक) बजा सकते है उन्हें स्टेज निर्माण के लिए संगीत की रचना करने तथा गायक वृन्द और आर्केस्ट्रा को निर्देशित करने, संगीत, क्षेत्रीय और लोक गीतों, भक्ति के गीतों, राष्ट्र प्रेम के गीतों आदि की संग्रह में प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए। सामान्य विशेषताओं से युक्त रागों और तालों को विवेचनात्मक समालोचना और तुलनात्मक अध्ययन और निम्नलिखित रागों को सीखना; यमन, भैरव, बिहाग, वृंदावनी–सारंग, जौनपुरी, अलहिया बिलावल, पीलू, काफी, भैरवी आदि प्रायोगिक कार्य का एक हिस्सा होना चाहिए।

उन्हें वाद्य यंत्रों अनुरक्षित बनाए रखने और उनकी मरम्मत करने में भी सक्षम होना चाहिए।

सी नाटक/रंगमंच

(i) (नाटक/रंगमंच का आधार) इस विषय में सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में दो स्थूल क्षेत्र होंगे अर्थात्

(क) रंगमंच में विभिन्न तत्वों की जटिलताओं और संभावनाओं का अध्ययन और अभ्यास के जरिए बोध जैसेकि अभिनय, डिजाइन, निर्देशन तथा रंगमंच तकनीक ताकि रंगमंच की शैक्षिक रूपरेखा के भीतर अधिक आसानी और विश्वास के साथ प्रवृत्त हो सके।

(ख) छात्र अध्यापक डिजाइन, अभिनय और नाट्य उत्पादन के साथ–साथ विश्व नाटक और भारतीय नाटक का शास्त्रीय से लेकर आधुनिक समय तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

इसमें मूर्ति नाट्य पाठ्यसामग्री अर्थात् नाट्यशास्त्र और अभिनव दर्शन और रचनाओं का अध्ययन अवश्य शामिल होना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की अन्य विधियों से हटकर नाटक की विशिष्ट प्रकृति को समझा जा सके। इतिहास शिक्षण रंगमंच तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है ताकि अध्यापन सिद्धान्त की विधियों को ऐसे प्रायोगिक माध्यम से लागू किया जा सके जिसका बाद में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए प्रयोग कर सके।

सैद्धान्तिक पक्ष में शिक्षाशास्त्रीय महत्व और जो कौशल तथा तकनीक वे सीखते हैं, उनमें से प्रत्येक का महत्व और अवधारणा का अध्ययन भी शामिल होगा।

शिक्षा में नाटक को भी दो अलग–अलग खंडों में बांटा जा सकता है जिनमें से एक जो बच्चों के लिए और उनके द्वारा निष्पादन पर केन्द्रित रहता है। उसे **शिक्षा में रंगमंच** कहा जा सकता है जो बच्चों के लिए रंगमंच में प्रमुख दृष्टिकोणों और परिपाटियों पर केन्द्रित रहता है। इस खण्ड का उद्देश्य प्रत्येक दृष्टिकोण के अधीन सैद्धान्तिक आधार की संक्षिप्त पृष्ठभूमि सहित बच्चों को प्रवृत्त रखने के लिए प्रयुक्त विविध रंगमंच परिपाटियों का व्यवहार, प्रायोगिक अनुभव उपलब्ध कराना है।

दूसरा खण्ड शिक्षा में नाटक के नाम से है जो अपेक्षतया अधिक क्लासरूम आधारित है और जिसका उद्देश्य रंगमंच को एक शिक्षाशास्त्रीय साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए विधियों और परिपाटियों प्रदान करना और अधिगम प्रक्रिया का एक व्यापक प्रेक्ष्य तैयार करना है।

(क) छात्र अध्यापक रंगमंच और शिक्षा के बीच के अन्तरापृष्ठ के वर्षों पुराने इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार वे इस अन्तरापृष्ठ, भारत और पश्चिम दोनों में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नाटक के प्रयोग संबंधी दृष्टिकोणों और कार्यनीतियों के महत्व को देखेंगे।

(ख) व्यक्तित्व विकास, आत्म विश्वास निर्माण, सामाजीकरण कौशलों के संवर्धन तथा बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करने, सांस्कृतिक विविधता, चिकित्सा आदि में नाटक की भूमिका

(ग) विश्व में सहभागिता पूर्ण रंगमंच का इतिहास व्यवहार।

(घ) डीआईई व्यावसायिकों, तकनीकों, कार्यनीतियों द्वारा निर्मित नाटक परिपाटियों का सिद्धान्त।

(ङ) स्कूली विषयों अर्थात् भाषाओं, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान और कलाओं तथा शिल्पों की अवधारणात्मक रूपरेखा/शिक्षाशास्त्र का परिचय।

(ii) प्रायोगिक कार्य

उन्हें रंगमंच के तत्वों में से प्रत्येक के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

(क) अभिनय घटक के भीतर वे आगे वर्णित सीखेंगे: योग, संचलन, सामरिक कलाएं, मसखरापन, कला बाजी, वायसस्पीच, कहानी कहना, रंगमंचीय खेल, तात्कालिक निष्पादन तथा चरित्र चित्रण।

(ख) रंगमंचीय तकनीकों और डिजाइन के भीतर उन्हें रंगमंच का साजा–सामान, मुखौटे, कठपुलियां, मेकअप, वेशभूषा डिजाइन तथा सेट डिजाइन बनाना सीखना होगा तथा उनके प्रयोग के तरीके खोजने होंगे।

(ग) रंगमंच के सीखे गए विभिन्न तत्वों को समझने और समेकित करने के लिए उन्हें बच्चों की रूचि के विषयों से सम्बद्ध नाटक का अभ्यास और निष्पादन करना चाहिए और बाल मनोविज्ञान के साथ–साथ बच्चों के रूप में अभिन्य करना सीखना चाहिए। चुने गए अथवा तैयार किए गए नाटक ग्रिप्स प्रणाली विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इसे शिक्षा में रंगमंच के उनके अध्ययन से जुड़े हुए प्रायोगिक कार्य के रूप में भी देखा जा सकता है।

(घ) ऐसी प्रक्रिया नाटक परम्पराओं को सीखें जो रंगमंच अथवा कोई अन्य विषय पढ़ाने, रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित करने तथा सहभागितापूर्ण निष्पादनों के सृजन के लिए अत्यन्त प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकता है।

(ङ) सभी नाटक परम्पराओं का प्रयोग करते हुए किसी विशेषज्ञ के निर्देशन के अधीन एक सहभागितापूर्ण निष्पादन का सृजन करें और स्कूलों में निष्पादन करें।

डी. नृत्य

(i) सिद्धान्त

नृत्य क्या है? नृत्य की कोटियां कौन सी हैं? शास्त्रीय लोक/क्षेत्रीय तथा अन्य नृत्यों का परिचय, जो किस्म भारत में नृत्यों में देखने में आती है, उसे अभिज्ञात किया जाता है। नटराज, कृष्ण और अन्य परिचित नृत्य देवताओं का संक्षिप्त परिचय छात्र अध्यापक अपने राज्य के लोक नृत्य सीखेंगे। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना होगा। छात्र अध्यापक भारत में शास्त्रीय नृत्यों के इतिहास का तथा नृत्य को प्रोत्साहन देने में राजाओं और मंदिरों की भूमिका का, मौजूदा स्वरलिपि प्रणाली के आधारित ज्ञान तथा संगीत वाद्ययंत्रों के चार पक्षीय वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।

मौजूदा नृत्य विचारकों जैसे कि उदयशंकर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, रूक्मिणी देवी, अरूणडली, बाला सरस्वती, मैडम मेनोका, रामगोपाल तथा भारत में नृत्य के लिए योगदान देने वाली अन्य हस्तियां।

(ii) प्रायोगिक कार्य

लय और इसके उतार–चढ़ाव को समझना पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें बजाना, ताली मारना और अंतरालन पर बल दिया जाता है। नृत्य से संबंधित लाक्षणिक अध्ययन में अभिनय अथवा शास्त्रीय नृत्यों द्वारा मुखीय अभिव्यक्तियों के साथ–साथ पालन की जाने वाली किसी अन्य पाठ्यसामग्री की हस्तमुद्रा शामिल रहती है। बाल कथाओं, महाकाव्यों, जालकों तथा अन्य विख्यात कथाओं में इनका अनुप्रयोग किया जा सकता है। नृत्य घटक के भीतर वे योग, चेष्टाएं, कलाबागियां, तात्कालिक प्रदर्शन तथा चरित्र चित्रण सीखेंगे। साथ ही वे मंच प्रबन्ध, प्रकाशव्यवस्था, मेकअप, वेशभूषा डिजाइन आदि भी सीखेंगे।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण: दो वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रतिवर्ष 16 सप्ताह के स्कूल अनुभव कार्यक्रम में भाग लेना होगा। इसमें शामिल होंगे: स्कूल, इसकी प्रणालियां और क्रियाकलापों का प्रेक्षण, संगीत, रंगमंच और नृत्य के माध्यम से कक्षाओं में बच्चों का प्रेक्षण, अन्य स्थानों में भी बच्चों का प्रेक्षण और साथ ही उनके इर्दगिर्द के वातावरण को देखना ताकि पहले वर्ष में सुधरे हुए निष्पादन का सृजन किया जा सके और दूसरे वर्ष में उन्हें स्थानबद्ध प्रशिक्षुओं के रूप में कुछ स्कूलों के साथ सहयोजित किया जाएगा जहां वे समूचे पाठ्यक्रम के दौरान सीखे गए विभिन्न कौशलों और प्रणाली विज्ञानों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाठ योजनाओं सहित 20 दिन तक रंगमंच की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसका मार्गदर्शन, प्रेक्षण और मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। छात्र अध्यापकों को अवधि के दौरान तथा स्कूलों में सत्रों के दौरान अपने निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए स्वचिन्तनशील जर्नल (एसआरजे) बनाए रखने को कहा जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वे स्वतंत्र रूप से ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं/प्रशिक्षुता/स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं जिसका चरमोत्कर्ष बच्चों द्वारा/के साथ तैयार किए गए एक लघु निष्पादन के रूप में हो सकता है।

टिप्पणी: कला शिक्षा के सभी रूपों के शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रमों में संघटनात्मक पक्ष होंगे, जहां सीसीई, क्लासरूम प्रबंध सहित मूल्यांकन के चिरकालिक मुददों तथा आईसीटीकी भूमिका की ओर ध्यान दिया जाना होगा। क्षेत्रों के बीच पाठ्यचर्या के पक्षों का समाकलन करने वाला एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। जिसमें शामिल होंगे: पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, पाठ्यचर्या, क्लासरूम प्रक्रियाओं विशेष रूप से आरटीई 2009 के अनुबन्धों के सन्दर्भ में शिक्षणशास्त्रीय सिद्धान्त

पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि बुनियादी विषय क्षेत्रों की प्रकृति, प्रमुख अवधारणाएं और व्याख्या, स्कूल पाठ्यचर्या का विवेचनात्मक बोध, प्रारंभिक स्कूल विषयों की अन्तर्वस्तु तथा यह समझने में छात्र अध्यापकों की मदद की जा सके कि बच्चे किस प्रकार सामान्य में और किस प्रकार विशेष रूप से कला शिक्षा में सीखते हैं।

4.3 मूल्यांकन

क्योंकि कला शिक्षा विषय अधिक प्रायोगिक आधारित है इसलिए सिद्धान्त और प्रायोगिक के लिए भारिता का अनुपात क्रमशः 40:60 होना चाहिए। पूरे कार्यक्रम के लिए कुल अंकों में से 25 प्रतिशत अंक स्थानबद्ध प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए आबंटित किए जाने चाहिए। ऐसी मूल्यांकन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जो वैद्य और विश्वसनीय, समय सापेक्ष और प्रबन्धन योग्य हों। छात्रों को अध्यापकों और समकक्षियों से निरन्तर प्रतिपुष्टि मिलते रहना चाहिए और उन्हें चर्चा, आत्म चिन्तन तथा समकक्ष मूल्यांकन के माध्यम से स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक इस कार्यनीति के एक अंग के रूप में छात्रों की उपलब्धि रिकार्ड कर सकते हैं लेकिन छात्रों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या इन परिणामों का प्रयोग औपचारिक मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग अभ्यास के एक हिस्से के रूप में होगा। प्रत्येक परिणाम का वैयक्तिक रूप से मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षण कार्यक्रम छात्रों को सभी पाठ्यक्रमों परिणामों की ओर ध्यान देने की अनुमति दें और उसके लिए प्रोत्साहित करें और यह कि मूल्यांकन कार्यनीतियां प्रत्येक छात्र को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने का अवसर दें।

जबकि सैद्धान्तिक घटक का मूल्यांकन लिखित परियोजनाओं/संगोष्ठियों, लिखित लेखों के माध्यम से किया जा सकता है व्यावहारिक पक्ष का मूल्यांकन अध्यापक द्वारा सतत् आधार पर किया जाना चाहिए। इसकी कसौटी होगी कार्यान्वयन में बोध, कार्यान्वयन, सृजनात्मकता, सत्रों के माध्यम से पहल और निष्पादन प्रस्तुति जिसमें निर्माण और कार्यशालाओं में सहभागिता का स्तर शामिल होगा।

रंगमंच में निर्माण और निष्पादन प्रमुख पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे और मूल्यांकन निर्माण में किया जाएगा, इस कारण अभ्यास और तैयारी में अधिक समय लगेगा जो छात्रों को दिया जाना चाहिए।

5 स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या इससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते :

प्रिंसिपल	—एक
लेक्चरर (कलाएं)	—चार
शिक्षा में लेक्चरर	—एक
साहित्य में लेक्चरर	—एक
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में लेक्चरर	—एक

(5.1) अर्हताएं

(क) प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष

(i) शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

(ii) कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा निष्पादन कलाओं में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर सात

(ख) शिक्षा में लेक्चरर एक

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड/एम.एड(प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंको सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) पचपन प्रतिशत अंको सहित कला शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

(ग) निष्पादन कलाएं चार

(i)	सघोष संगीत	—एक
(ii)	वाद्य संगीत	—एक
(iii)	नृत्य/(माधुर्य वाद्य यंत्र)	—एक
(iv)	रंगमंच कलाएं	—एक

अनिवार्य

ऊपर बताए अनुसार संबंधित विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित 55% अंकों सहित संगीत / नृत्य / रंगमंच में मास्टर डिग्री

वांछनीय

शिक्षा में डिग्री में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजन के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रवीणता ।

1. हारमोनियम का कार्य साधकज्ञान ।
2. तबला/पखावज/मृदंगम का कार्य साधक ज्ञान ।
3. ए आई आर/दूरदर्शन का बी.ग्रेड कलाकार ।

टिप्पणी :–स्थानीय कलाकारों तथा/अथवा विख्यात कलाकारों की सेवाओं का समय–समय पर अतिथि संकाय के रूप में लाभ उठाया जा सकता है ।

(घ) शिक्षा में लेक्चरार एक

(i) कम से कम 55% अंकों सहित अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) 50% अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा ।

(ङ) स्वास्थ तथा शारीरिक शिक्षा लेक्चरर एक

अनिवार्य :

55% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड)।

(च) तबले पर संगत देने वाला एक

पचपन प्रतिशत अंकों सहित संगीत (तबला) में स्नातक ।

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित निष्पादन कला में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री।

अथवा

कोई अन्य समतुल्य डिग्री।

अथवा

उच्च निष्पादन योग्यता सहित एक घरानादान कलाकार।

ए आई आर / दूरदर्शन का बी उच्च ग्रेड कलाकार।

(छ) हारमोनियम अथवा कोई अन्य मेलोडी वाद्यय यंत्र की संगत देने वाला एक

तबला संगतकार जैसी

(ज) पुस्तकालय अध्यक्ष एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।

5.3 प्रशासनिक स्टाफ

(i) संख्या

(क) यू.डी.सी/कार्यालय अधीक्षक एक

(ख) कम्प्यूटर प्रचालक एक

(ii) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित।

टिप्पणी : पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक **लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक** और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी ।

संयुक्त संस्थान के मामले में प्रिंसिपल तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ **साझा किया जा सकता** है ।

5.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की चयन प्रकिया सहित उनकी सेवा की शर्तें और उपबन्ध, **वेतनमान, अधिवार्षिकी की** आयु तथा अन्य लाभ राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार **होंगे** ।

6. सुविधाएं

(I) (क) एक यूनिट के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में 2500 वर्ग मीटर (ढाई हजार वर्गमीटर) भूमि होनी चाहिए जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। एक यूनिट या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थान के पास निम्न आधारिक सुविधाएं होनी चाहिए :

(i) प्रत्येक 25 छात्रों के लिए एक क्लास रूम

(ii) एक डायस सहित 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुउद्देशीय हाल

(iii) पुस्तकालय एवं वाचनालय

(iv) कला शिक्षा के लिए ई टी तथा आई सी टी सुविधाओं सहित संसाधन केन्द्र।

(v) दर्पणों सहित निष्पादन कला संसाधन केन्द्र

(vi) दर्पणों सहित वाद्य संगीत कक्ष

(vii) दर्पणों सहित सघोष संगीत कक्ष

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) बलिकाओं का कॉमन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) अतिथि कक्ष

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग टायलेट सुविधा

(xvii) वाहन खडा करने के लिए स्थान

(xviii) लॉन, बागवानी कियाकलाप आदि के लिए खुला स्थान

(xix) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्टोर रूम

(xx) बहुउद्देशीय खेल मैदान

(xxi) दर्पण सहित मेकअप तथा श्रृगार कक्ष आदि

(xxii) दर्पण सहित नृत्य कक्ष

संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही कैम्पस में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यकम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुउद्देशीय हाल, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों के आनुपातिक वृद्धि सहित) और अनुदेशात्मक स्थान साझा किए जा सकते हैं । संस्थान के पास पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसिपल तथा संस्थान में जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यकमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अलग अलग विभागाध्यक्ष।

6.2 स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सुविधाएं

संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी कियाकलाप के वास्ते पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। यह वांछनीय है कि उसके पास एक अपना सहयोजित/संलग्न/प्रारंभिक स्कूल हो। संस्थान स्कूलों से इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने को तैयार हैं। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक 10 छात्र–अध्यापक सहयोजित किए जाएंगे।

6.3 उपकरण तथा सामग्री

(i) संस्थान उपर 6(1) में दिए अनुसार संगीत कक्ष और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा । जहां अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन–अधिगम प्रकिया को सहयोग देने और उसका संवर्धन करने के लिए बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ रहेंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं पर पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं।

बच्चों की पुस्तकें

श्रृव्य–दृश्य उपकरण – टीवी, डीवीडी प्लेअर, स्पाइड प्रोजेक्टर

श्रृव्य–दृश्य सहायक सामग्री – श्रव्य टेप, स्लाइड, फिल्में

शिक्षण सहायक सामग्री–चार्ट, तसवीरें आदि

निष्पादन और दृश्य कलाओं – दोनों पर सीडी

विकासात्मक मूल्यांकन पडताल सूचियां और मापन उपकरण

इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर

फोटोकापी मशीन

(ii) संगीतात्मक यंत्र और सम्बद्ध सामग्री

(क) आधारिक संगीत वाद्य यंत्र–हारमोनियम, की बोर्ड, तबला, ढोलक/ताल, तानपुरा, हैकर

(iii) विभिन्न नृत्य तथा रंगमंचीन रूपों में प्रदत्त वेशभूषा, आभूषण

(iv) हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में प्रदत्त वाद्ययंत्र जैसे कि सितार, वीणा, मृदांग / प्रखालन इलैक्ट्रानिक तानपुरा

(v) क्षेत्रीय संगीत वाद्ययंत्र

(vi) मेकअप सामग्री

(vii) वेशभूषा वार्ड

(viii) संगीत वाद्ययंत्रों के भण्डारण के लिए शोकेस

(ix) गलीचे, दरियां

(x) ध्वनि तंत्र

(ख) अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री

इस कार्यकम में नियोजित बहुविध कियाकलाप के लिए गुणवत्ता और मात्रा–दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिए:

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, कियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(III) श्रृव्य–दृश्य उपकरण

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य–दृश्य कैसेट, दृश्य–श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतसंबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे, माइकोफोन, हेडफोन।

(IV) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोडी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिए: बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक (कामिकों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताए)। संस्थान कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगाएगा जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(V) खेल और खेलकूद

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7. **(क) प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदगी में प्रयोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी । इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुउद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे के रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए अलग अलग विभागाध्यक्ष होगा ।

परिशिष्ट – 13

बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम

1. **प्रस्तावना**

1.1 चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का लक्ष्य, सामान्य अध्ययन, जिसमें विज्ञान (बी.एस.सी. बी.एड) और सामाजिक विज्ञान या मानविकी (बी.ए बी.एड), तथा वृत्तिक अध्ययन, जिसमें शिक्षा के आधार, विद्यालयी विषयों का शिक्षणशास्त्र, तथा एक विद्यालय–शिक्षक के कार्यों एवं कार्यविधियों से जुडी प्रायोगिकी, का एकीकरण है । यह सिद्धान्त और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है, तथा कार्यक्रम के घटकों के बीच सुसंगति एवं जुडाव को बनाए रखता है और एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के विस्तृत ज्ञान–आधान को प्रस्तुत करता है । कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है ।

1.2 यह कार्यक्रम संयुक्त संस्थानों में चलाया जाएगा जैसा कि विनियम 2.1 में परिभाषित है।

2 **अवधि एवं कार्यदिवस**

बी.एस.सी.बी.एड. एव बी.ए.बी.एड कार्यक्रम की अवधि विद्यालय आधारित अनुभव तथा शिक्षण में प्रशिक्षुता समेत चार शैक्षणिक वर्ष अथवा आठ सेमेस्टर की होगी। हालांकि विद्यार्थी शिक्षक को कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम छः वर्षों के भीतर कार्यक्रम को पूरा कर लेने की अनुमति होगी।

2.1 कार्य दिवस

(क) एक वर्ष में कम से कम दो सौ पचास कार्यदिवस होंगे, ये परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि को छोड़कर होंगे।

(ख) एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5–6 घंटे, एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घंटे होंगे। संस्थान परामर्श एवं दिशानिर्देशन–सामूहिक अथवा व्यक्तिगत निर्देशन के लिए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा ।

(ग) विद्यार्थी शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति कोर्स वर्क और प्रायोगिकी में 80% तथा विद्यालय प्रशिक्षुता में 90% होगी ।

2.2 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रकिया एवं शुल्क

50 विद्यार्थियों की एक आधारभूत इकाई होगी। प्रारंभ में दो इकाईयों की अनुमति दी जा सकती है। संबंधन विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों का बंटन निर्धारित कर सकता है ।

2.3 पात्रता

(क) उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50: अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी/विकलांग तथा अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण एवं अंकों में छूट केन्द्र सरकार / राज्य

2.4 प्रवेश प्रकिया

(क) प्रवेश अर्हकारी परीक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अथवा राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया द्वारा दिया जाएगा ।